न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 69/2016

1. बलवन्त सिंह पुत्र श्री उजागरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. करनैल कौर पत्नी श्री गोविन्दसिंह जाति रामगढ़िया निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कर्मजीत सिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति रामगढ़िया निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति रामगढ़िया निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बलराजसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी शोभासिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री दलबारसिंह बसड़ अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.10.2016

प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर) कुल 3.795 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है।

उक्त रकबा में जानें के लिये कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अपनें खेत में जाकर कृषि कार्य करनें में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को अपनें खेत में आनें जानें के लिये रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है।

चक 9 ए की आबादी भूमि मुरब्बा नम्बर 29 में है जिसके चारों तरफ सड़क (फिरनी) बनी हुई है, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 21 के स्थित खाला पर बनी पुलिया से मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 व 2 में से होकर प्रार्थी अपनें रकबा किला नम्बर 3 में पहुँच सकता है, मगर किला नम्बर 1 व 2 का रकबा अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज होनें के कारण हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिये प्रार्थी उक्त मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 व 2 प्रत्येक में 0.026–0.026 हैक्टर उत्तर दिशा की और रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके लिये निर्धारित मुआवजा अदा करनें के लिये तैयार है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते का रकबा चक 9 ए छोटी का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 1 का रकबा करनैल कौर पत्नी गोविन्दसिंह, कर्मजीतसिंह, राजविन्द्रसिंह पिसरान गोविन्दसिंह साकिन 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से व किला नम्बर 2 का रकबा बलराजसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी शोभासिंह वाला तहसील श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज कागजात माल है।

प्रार्थी के रकबा में आनें जानें के लिये यही सबसे निकटतम एवम् लघुतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवानें के लिये कई बार कहा गया, मगर पहले तो वह टाल मटोल करते रहे, मगर दो रोज पूर्व साफ इन्कार कर दिया है।

अतः प्रार्थी को उसके रकबा ख्क 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 40 में आनें जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 व 2 की उत्तरी दिशा में 0.026–0.026 हैक्टर रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता खुलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपतहसीलदार, चूनावढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई, उपतहसीलदार चूनावढ़ द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./93 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के समस्त खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। रास्ता मौके पर चल नहीं रहा है, तथा प्रार्थी के रकबा को आनें जानें के लिये कोई स्वीकृत शुद्धा एवम् प्रचलित रास्ता नहीं है। चक 9 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 में अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जानें के लिये रास्ता की आवश्यक्ता है। अतः रास्ता स्वीकृत किये जानें की अनुशंषा की जाती है।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.08.2016 को जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पास अन्य दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होते हुए रास्ता स्वीकृत करवानें का अधिकारी नहीं होनें के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 24.010.2016 को प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का पंचायत के मौतबिरान एवम् बिरादरी के मौजिज व्यक्तियों नें राजीनामा करवा दिया है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जावे।

उभयपक्ष द्वारा दिनांक 24.10.2016 को प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया कि चक 9 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 व 2 में से 2–2 बिस्वा रास्ता उत्तर दिशा वाले खाले के साथ–साथ प्रथम पक्ष को देनें हेतु अपनी सहमती दी है। और उक्त रास्ता प्रथम पक्ष के प्रार्थना पत्र में स्वीकृत किया जावें तो द्वितीय पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। इस रास्ता के बदले में मुआवजा की राशी द्वितीय पक्ष नें प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया जिसको प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दिनांक 25.10.2016 को दौरान बहस कथन किया की उभयपक्ष के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं है अतः राजीनामा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत कर अनुतोष प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् राजीनामा का अवलोकन किये जानें पर रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 9 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 व 2 में से 2–2 बिस्वा रास्ता उत्तर दिशा वाले खाले के साथ–साथ स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार रास्ते की भूमि का राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर